मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 02-01/2021/अ-73 भोपाल, दिनांक 29/11/2021

प्रति,

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभाग,
मंत्रालय, भोपाल ।

विषयः- मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना के संबंध में।

....

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा एतद् आदेश से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को समाप्त कर प्रदेश के युवाओं के लिये स्वयं का उद्योग, सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के लिए **"मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना"** को प्रारंभ किया जाता है, जिसका क्रियान्वयन निम्न निर्देशों के तहत किया जाना है:

1. <u>मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना</u>

योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा। इस योजना के प्रावधान सभी वर्गो के आवेदकों के लिये समान रहेंगे। मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनान्तर्गत अर्हता एवं वित्तीय सहायता संबंधी प्रावधान निम्नानुसार होंगे :-

(i) परियोजना सीमा : (अ) उद्योग (विनिर्माण-Manufacturing) इकाई के लिये राशि रूपये 1 लाख से 50 लाख तक की परियोजनाएं।
(ब) सेवा (Service) इकाई एवं खुदरा व्यवसाय (Retail Trade) हेतु रूपये 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजनाएं।

(ii) पात्रता :

(क) आयु : 18-40 वर्ष।

(ख) शैक्षणिक योग्यता : न्यूनतम 12 वी कक्षा उत्तीर्ण।

(ग) आय सीमा : (अ) परिवार की वार्षिक आय रुपये 12.00 लाख से अधिक न हो ।

(ब) परिवार से आशय;

(i)आवेदक के अविवाहित होने पर आवेदक स्वयं एवं उसके माता-पिता से है, जिन पर वह आश्रित है,अथवा

(ii) आवेदक के विवाहित होने पर पति/पत्नी एवं आश्रित बच्चों (आश्रित एवं अविवाहित बच्चों की उम्र का कोई बंधन नहीं) से है।

(स) यदि आवेदक का परिवार आयकर दाता है तो उसकी पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरणियां (Income Tax Returns) आवेदन के साथ संलग्न करेगा।

(घ) अन्य : (अ) आवेदक स्वयं किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था जैसे-MFI/NBFC/SFB/PACS इत्यादि का डिफाल्टर ना हो।

(ब) आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो।

(iii) वित्तीय सहायता:

(क) ब्याज अनुदान (Interest Subvention) : (अ) योजनान्तर्गत सभी वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित/शेष (Outstanding) ऋण (Term Loan & Working Capital Loan) पर 3% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित), दिया जायेगा ।

(ब) जिस अवधि के दौरान हितग्राही का ऋण खाता NPA बना रहता है, उस अवधि के लिए कोई ब्याज अनुदान स्वीकार्य नहीं होगा।

(स) ब्याज अनुदान की राशि प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के रूप में वार्षिक आधार पर प्रदान की जायेगी।

(ख) गांरटी फीस (CGTMSE) : प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक (मोरेटोरियम अवधि सहित)।

(iv) प्रशिक्षण : योजनान्तर्गत प्रशिक्षण के इच्छुक हितग्राही 12 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण ऑनलाइन ट्रेनिंग मोड्यूल के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।

(v) पात्र परियोजनायें : उद्योग (विनिर्माण), सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र की समस्त परियोजनायें जो CGTMSE अन्तर्गत बैंक ऋण गांरटी के लिए पात्र हैं।

(vi) पात्र बैंक : पब्लिक/प्राइवेट सेक्टर बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो CGTMSE में पंजीकृत MLI (Member Lending Institution) है ।

(vii) **योजना का क्रियान्वयन** : इस योजना का क्रियान्वयन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जायेगा ।

2. पूर्व संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार/युवा उद्यमी/कृषक उद्यमी योजनाओं में 7 वर्षों तक ब्याज अनुदान तथा ऋण गारंटी शुल्क अनुदान का प्रावधान होने के कारण इन पूर्ववर्ती योजनाओं के हितग्राहियों को इसका लाभ यथावत पूर्व प्रावधानों के अनुसार प्राप्त होता रहेगा।

3. एमएसएमई विभाग द्वारा अपने विभागीय बजट में इस योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु प्रावधान किया जायेगा। **मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना** अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा आवंटित बजट अनुसार जिलेवार एवं बैंकवार वित्तीय लक्ष्य (ब्याज अनुदान वितरण) निर्धारित किये जायेंगे, भौतिक लक्ष्य केवल सांकेतिक होंगे ।

4. योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रक्रियाओं का निर्धारण तथा योजना के प्रारूप का अनुमोदन संबंधित विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन तथा वित्त विभाग की सहमति से किया जायेगा। इस हेतु पृथक से मंत्रि-परिषद् के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी ।

5. योजना का क्रियान्वयन वित्त विभाग द्वारा शासकीय योजनाओं के लिये निर्माणाधीन समेकित पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृ. क्रमांक एफ 02-01/2021/अ-73 भोपाल, दिनांक 29/11/2021

प्रतिलिपि-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, भोपाल ।
3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल ।
4. निज सचिव, माननीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम,भोपाल।
5. आयुक्त जनसंपर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं वांछित कार्यवाही हेतु।
7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
9. नियंत्रक शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर कृपया उक्त परिपत्र को आगामी राजपत्र में प्रकाशित करवाकर उसकी 25 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
10. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अरेरा हिल्स, भोपाल । की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

उद्योग संचालनालय

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

क्रमांक: 1/स्वरो/5(3-ब)/1/2021/ 221 - 275 भोपाल, दिनांक 07/01/2022

प्रति,

समस्त महाप्रबंधक,
जिला व्यापार उद्योग केंद्र
मध्य प्रदेश

विषय:- मंत्रि-परिषद से अनुमोदित मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना की मार्गदर्शिका।

सन्दर्भ:- एमएसएमई विभाग का पत्र क्र. एफ 2-1/2021/अ-तेहत्तर ।

......

विषयांतर्गत शासन द्वारा मुख्यमंत्री उद्यम क्रांन्ति योजना की प्रकियाओं का निर्धारण कर जारी की गई **मार्गदर्शिका** आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

उपरोत मार्गदर्शिका में उल्लेखित **सक्षम विभागीय अधिकारी** से आशय **महाप्रबंधक, जिला व्यापार उद्योग केन्द्र** से है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

उद्योग आयुक्त
मध्यप्रदेश

क्रमांक: 1/स्वरो/5(3-ब)/1/2021/ 276 - 336 भोपाल,दिनांक 07/01/2022

प्रतिलिपि:-

1- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
2- संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, सेट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय अरेरा हिल्स भोपाल की और कृपया समस्त बैंकों को उपरोक्त मार्गदर्शिका प्रेषित करने का कष्ट करें।
3- संयुक्त संचालक उद्योग, समस्त परिक्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4- मुख्य परिचालन अधिकारी, एमपी ऑनलाइन लिमिटेड, डी. बी. मॉल, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उद्योग आयुक्त
मध्यप्रदेश

चौथी मंज़िल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल-462 004 (म.प्र.) फोन : 91-0755-2677988, 2677966(O)
फैक्स : 91-0755-2574009
ई-मेल : ic-mp@nic.in web : www.mpmsme.gov.in

मध्यप्रदेश शासन,

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 2-1/2021/अ-तेहत्तर, भोपाल, दिनांक: 07.01.2022

प्रति,

उद्योग आयुक्त,

मध्यप्रदेश,भोपाल.

विषयः-मंत्रि परिषद से अनुमोदित मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की मार्गदर्शिका।

संदर्भः-उद्योग संचालनालय की टीप क्रमांक 1/स्वरो/5(3-ब)/1/2021,

दिनांक 06.12.2021

राज्य शासन एतद् आदेश से विभागीय ज्ञाप क्रमांक एफ 2-1/2021/अ-तेहत्तर, दिनांक 29.11.2021 से जारी आदेश की कण्डिका क्रमांक 4 के अनुक्रम में आपके द्वारा उक्त विषयक संदर्भित प्रस्ताव अनुसार "मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना" के क्रियान्वयन हेतु संलग्न परिशिष्ट अनुसार प्रक्रियाओं संबंधी मार्गदर्शिका हेतु अनुमोदन प्रदान करता है।

2/ वित्त विभाग द्वारा उनके यू.ओ. क्रमांक 13/आर-628/ब-दो/चार/2022 दिनांक 07.01.2022 से उक्त प्रस्ताव हेतु सहमति प्रदान की गई है।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(शशि भूषण सिंह)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृ.क्रमांक एफ 2-1/2021/अ-तेहत्तर, भोपाल, दिनांक: 07.01.2022

प्रतिलिपिः

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, अरेरा हिल्स, भोपाल।

की ओर उक्त संलग्नों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना

(मार्गदर्शिका)

1. योजना का नाम : मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना

2. शासन आदेश दिनांक : 29/11/2021

3. योजना का प्रारंभ (Launch) दिनांक : 10/01/2022

4. योजना का उद्देश्य : योजना का उद्देश्य प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिये उन्हें स्वयं का उद्योग (विनिर्माण)/सेवा/व्यवसाय उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर संपार्श्विक मुक्त ऋण (Collateral Free Loan) उपलब्ध करवाना है।

5. योजना का क्रियान्वयनः

   5.1 सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के माध्यम से इस योजना का क्रियान्वयन किया जायेगा।

   5.2 योजना का संचालन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

6. पात्रता:

   6.1 योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।

   6.2 आवेदक:

   6.2.1 मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हो।

   6.2.2 आवेदन दिनांक को आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो।

   6.2.3 न्यूनतम 12 वीं कक्षा उत्तीर्ण हो।

   6.2.4 आय सीमाः परिवार की वार्षिक आय रुपये 12.00 लाख से अधिक न हो।(आवेदक अथवा उसके परिवार का कोई सदस्य अगर आयकर दाता है तो वह उनकी पिछले तीन वर्षों की आयकर विवरणियां (Income Tax Returns) आवेदन के साथ संलग्न करेगा।)

6.2.5 आवेदक स्वयं किसी बैंक और अन्य किसी वित्तीय संस्था जैसे -Micro Finance Institutions (MFI), Non Banking Financial Company (NBFC), Small Finance Bank (SFB), Primary Agricultural Credit Society (PACS) इत्यादि का डिफाल्टर ना हो ।

6.2.6 आवेदक वर्तमान में राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही (Beneficiary) न हो।

6.2.7 सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।

6.3 पात्र परियोजनाएं:

6.3.1 उद्योग (विनिर्माण-Manufacturing) इकाई के लिए राशि रूपये 1 लाख से 50 लाख तक की परियोजनाएं।

6.3.2 सेवा (Service) इकाई एवं खुदरा व्यवसाय (Retail Trade) हेतु राशि रूपये 1 लाख से 25 लाख तक की परियोजनाएं।

6.3.3 उपरोक्त समस्त प्रकार की परियोजनाएं जो Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) अन्तर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए भी पात्र हों।

6.4 पात्र बैंकः योजनान्तर्गत आवेदन उन्ही पब्लिक/प्राइवेट सेक्टर बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किये जा सकेंगे, जो CGTMSE में पंजीकृत MLI (Member Lending Instituion) हैं।

7. वित्तीय सहायताः

7.1 योजनान्तर्गत हितग्राहियों को बैंक द्वारा योजना प्रारम्भ होने के उपरान्त वितरित ऋणों (Term Loan & Working Capital Loan) के सम्बन्ध में 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान, अधिकतम 7 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित), दिया जायेगा।

7.2 जिस अवधि के दौरान हितग्राही का ऋण खाता Default/ NPA बना रहता है, उस अवधि के लिये कोई ब्याज अनुदान सहायता देय नहीं होगी।

7.3 ब्याज अनुदान की राशि प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के रूप में वार्षिक आधार पर प्रदान की जायेगी।

7.4 योजनान्तर्गत ऋण गारंटी (CGTMSE) शुल्क, प्रचलित दर पर, अधिकतम 7 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित), प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के रूप में देय होगा।

8. आवेदन प्रक्रिया एवं आवेदन पत्रों का निराकरणः

8.1 आवेदक से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सहपत्रों सहित प्राप्त आवेदन, पात्रता इत्यादि के परीक्षण उपरान्त सक्षम विभागीय अधिकारी द्वारा सम्बंधित बैंक शाखा को प्रेषित किया जायेगा।

8.2 बैंक शाखा द्वारा अधिकतम 6 सप्ताह (As per RBI Guidelines) में प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लिया जायेगा।

8.3 आवेदन यदि अपूर्ण है अथवा उसमें कोई सहपत्र संलग्न नहीं है, तो बैंक/ जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र द्वारा तत्काल कारण सहित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदक तथा सक्षम विभागीय अधिकारी को सूचित किया जायेगा, जिसे आवेदक त्रुटि सुधार कर पुनः बैंक/जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को भेज सकेगा।

8.4 एक बैंक द्वारा आवेदन अमान्य (Reject) किये जाने पर आवेदक अन्य किसी बैंक में आवेदन कर सकेगा।

8.5 आवेदक द्वारा प्रस्तावित राशि रुपये 10 लाख से कम की परियोजना के लिए सामान्य परियोजना प्रतिवेदन (Simple Project Report) प्रपत्र-1 में (उद्योग/सेवा हेतु) अथवा प्रपत्र-2 में (व्यवसाय हेतु) तैयार कर आवेदन के साथ संलग्न किया जावेगा। यदि आवेदक द्वारा प्रस्तावित परियोजना राशि रुपये 10 लाख या अधिक है तो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report) आवेदन के साथ संलग्न किया जायेगा।

8.6 आवेदन एक ही वित्तीय वर्ष हेतु मान्य होगा। आगामी वित्तीय वर्ष हेतु आवेदक को नया आवेदन करना होगा ।

8.7 आवेदक का ऋण प्रकरण स्वीकृत किये जाने की दशा में बैंक शाखा द्वारा एक माह के भीतर ऋण वितरण प्रारम्भ किया जायेगा तथा पोर्टल पर इसकी प्रविष्टि की जायेगी ।

8.8 उद्योग (विनिर्माण), सेवा एवं व्यवसाय इकाई के लिए बैंक ऋण की गारंटी, ऋण गारंटी निधि योजना (CGTMSE) के माध्यम से दी जावेगी एवं बैंक द्वारा किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी (Collateral Security) की मांग आवेदक से नहीं की जावेगी ।

8.9 मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन, सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना, उद्यमियों की समस्याओं आदि विषयों की समीक्षा हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठित समीक्षा समिति द्वारा त्रैमासिक आधार पर अथवा आवश्यकतानुसार समीक्षा की जायेगीः-

1.	कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
3.	आयुक्त, नगर निगम या उनके प्रतिनिधि	सदस्य
4.	परियोजना अधिकारी, जिला शहरी विकास अभिकरण	सदस्य
5.	जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक	सदस्य
6.	प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि	सदस्य
7.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य सचिव

टीपः-आवश्यक होने पर कलेक्टर किसी भी विभाग/संस्था/बैंक के अधिकारी/ प्रतिनिधि को समिति की बैठक में आवश्यकतानुसार बुला सकेंगे।

8.10 निर्धारित वार्षिक वित्तपोषण के लक्ष्य के 1.25 गुना तक नये आवेदन बैंकों को अग्रेषित किये जायेंगे, जिनका पूर्ण उपयोग होने पर पुनः उक्त सीमा में और आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे | उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय म.प्र. आवेदन प्राप्त किये जाने की सीमा को परिवर्तित करने के लिए सक्षम होंगे |

9. प्रशिक्षण: जिन हितग्राहियों ने पूर्व में उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया हो उन्हें उद्यमिता विकास प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल के माध्यम से दिया जायेगा।

10.वित्तीय प्रवाहः-

10.1 बैंक द्वारा ऋण वितरण दिनांक से एक वर्ष (मॉरेटोरियम अवधि सहित) पूर्ण होने पर बैंक शाखा द्वारा हितग्राही के पक्ष में ब्याज अनुदान की राशि जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से क्लेम की जायेगी।

(नोट*उपरोक्तानुसार ऋण वितरण दिनांक के पश्चात जिस माह में एक वर्ष पूर्ण हो रहा है, उस माह की अंतिम तारीख की स्थिति में बैंक द्वारा हितग्राही के ब्याज अनुदान की राशि पोर्टल के माध्यम से क्लेम की जायेगी।)

10.2 उपरोक्तानुसार बैंक द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक आधार पर अधिकतम 7 वर्षों तक ब्याज अनुदान राशि (मॉरेटोरियम अवधि सहित), पोर्टल के माध्यम से क्लेम की जा सकेगी |

10.3 जिस अवधि में हितग्राही का ऋण खाता Default/ NPA रहता है, उस अवधि का उल्लेख पोर्टल में बैंक शाखा द्वारा दर्ज किया जायेगा तथा इस अवधि के लिए ब्याज अनुदान, बैंक शाखा द्वारा वार्षिक क्लेम में नहीं जोड़ा जायेगा।

10.4 ऋण गारंटी निधि योजना (CGTMSE) के अन्तर्गत हितग्राही का गारंटी शुल्क अनुदान बैंक शाखा द्वारा यथा समय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से क्लेम (अधिकतम 7 वर्षों तक, मोरेटोरियम अवधि सहित)किया जायेगा ।

10.5 महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द द्वारा बैंक शाखाओं के माध्यम से ऑनलाइन पात्र हितग्राहियों के ब्याज अनुदान अथवा CGTMSE अनुदान की राशि को हितग्राही के ऋण खाते में (टर्म लोन अकाउंट या वर्किंग केपिटल लोन अकाउंट जिसे संबंधित बैंक शाखा उचित समझे) सीधे हस्तांतरित (DBT) किया जायेगा।

10.6 अनुदान दावों के भुगतान (Subsidy Claim-Settlement) के लिये राज्य स्तरीय मुख्यालय पर नोडल बैंक में संधारित पूल खाते में अधिकतम राशि रुपये 25 करोड़ अग्रिम तौर पर उद्योग संचालनालय म .प्र. द्वारा जमा की जायेगी।

10.7 पोर्टल के माध्यम से अनुदान भुगतान के लिये महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र अधिकृत होंगे ।

11. वार्षिक लक्ष्य निर्धारणः

11.1 योजनान्तर्गत प्रावधानित बजट अनुसार वार्षिक भौतिक/वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे।

11.2 उद्योग संचालनालय, म.प्र. द्वारा बैंको के जिलेवार वार्षिक वित्तीय लक्ष्य, संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के समन्वय से निर्धारित किये जाकर बैंकों/ जिला कार्यालयों को संसूचित किये जायेंगे |

12. विविधः

12.1 योजना अंतर्गत भागीदारी (Partnership) के प्रकरण भी पात्र होंगे, परन्तु समस्त भागीदारों को योजनान्तर्गत आवेदक के लिए निर्धारित पात्रता की शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। भागीदारों को सहायता उद्यम के मान से दी जायेगी।

12.2 योजना की व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण हेतु उद्योग आयुक्त ,उद्योग संचालनालय मप्र., सक्षम होंगे।

12.3 योजनान्तर्गत स्वरोजगार हेतु क्रय किये गये समस्त प्रकार के वाहनों का RTO पंजीयन व्यवसायिक श्रेणी में करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा हितग्राही को शासन की वित्तीय सहायता (ब्याज अनुदान/ CGTMSE शुल्क) प्राप्त नहीं होगी।

12.4 योजनान्तर्गत उद्योग/सेवा/व्यवसाय से संबंधित किसी गतिविधि पर उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय म.प्र., द्वारा उचित कारण होने पर रोक लगाई जा सकती है अथवा किसी गतिविधि को योजना से जोड़ा सकता है।

12.4.1 योजनान्तर्गत उद्योग/सेवा/व्यवसाय के उद्यम स्थापित किये जाने का उद्देश्य हैं, अतः कृषि आधारित/अनुषांगिक गतिविधियां के प्रकरण स्वीकार नहीं किये जायेंगे।जैसे- पशु पालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि।

12.5 बैंक द्वारा परियोजना स्वीकृत किये जाने पर वह हितग्राही से नियमानुसार अंशदान (मार्जिन मनी) जमा करा सकेगा।

12.6 योजनान्तर्गत हितग्राही के ब्याज अनुदान अथवा CGTMSE शुल्क अनुदान की अंतिम किस्त भुगतान होने के पूर्व यदि हितग्राही का ऋण खाता (टर्म लोन अकाउंट तथा वर्किंग केपिटल लोन अकाउंट दोनों) बंद हो जाता है तब ऐसी स्थिति में अनुदान राशि का भुगतान महाप्रबंधक द्वारा पोर्टल में दर्ज हितग्राही के बचत खाते अथवा चालू खाते में किया जा सकेगा।

12.7 हितग्राही का खाता Default/ NPA होने की स्थिति में Default/ NPA होने से पूर्व की देयताओं (ब्याज/ CGTMSE अनुदान) का भुगतान बैंक के "ऑफिस अकाउंट" में किया जा सकेगा ताकि सम्बंधित बैंक हितग्राही के लोन खाते में इस राशि को समायोजित कर सके।

12.8 मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजनान्तर्गत पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होने वाले आवेदनों में, पात्र होने पर स्वीकृति की दशा में वितरित किये जाने वाले ऋण को बैंक शाखाएँ प्रधानमंत्री मुद्रा योजनान्तर्गत भी कनवर्ज (Converge) कर सकती हैं।

13. परिभाषायें:

13.1 पूंजीगत लागत एवं कार्यशील पूंजी का योग परियोजना लागत है।

13.2 परियोजना में उपयोग किये जाने वाले प्लांट एवं मशीनरी/उपकरण का मूल्य पूंजीगत लागत है। परियोजनान्तर्गत भूमि का मूल्य शामिल नहीं होगा तथा भवन में निवेश, मशीन/उपकरण लागत के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

13.3 **CGTMSE से** अभिप्राय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फण्ड फार माईक्रो एण्ड स्माल एंटरप्राईजेस से है।

13.4 परिवार से आशयः

13.4.1 आवेदक के अविवाहित होने पर आवेदक स्वयं एवं उसके माता-पिता से है, जिन पर वह आश्रित है,अथवा

13.4.2 आवेदक के विवाहित होने पर पति/पत्नी एवं आश्रित बच्चों (आश्रित एवं अविवाहित बच्चों की उम्र का कोई बंधन नहीं) से है।

13.5 बैंक से आशय पब्लिक/प्राइवेट सेक्टर बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है, जो CGTMSE अन्तर्गत पंजीकृत MLI (Member Lending Institution) हैं।

<u>प्रपत्र-1</u>

सामान्य परियोजना प्रतिवेदन

(Simple Project Report)

(रु. 10 लाख से कम की उद्योग/ सेवा परियोजना हेतु)

1. आवेदक का पूरा नाम : ....
2. उद्योग/ सेवा उद्यम का नाम व पता : ....
3. उत्पाद/ सेवा का नाम, परिचय एवं : ....
बाजार में माँग की सम्भावना : ....
4. प्रस्तावित क्षमता (मासिक) : ....

क्र.	नाम वस्तु/ सेवा कार्य	परिमाण (Quantity)	मूल्य
1			
2			
3			
		योग	

पूँजी विनियोजन (Capital Appropiation) :-

अ. स्थिर पूँजी

(i) भूमि : ....

(ii) भवन (स्वयं की/ किराये पर) : ....

(iii) मशीन,उपकरण एवं साज-सज्जा : ....

ब. कार्यशील पूँजी

(i) कच्चा माल

क्र.	कच्चे माल का नाम	परिमाण (Quantity)	मूल्य
1			
2			
3			
		योग	

(ii) वेतन एवं मजदूरी

क्र	विवरण	संख्या	अनुमानित वेतन
1	प्रबंधक		
2	कुशल कारीगर		
3	अकुशल कारीगर		
4	अन्य		
		योग	

(iii) अन्य व्यय

क्र	विवरण	अनुमानित व्यय
1	ऑफिस/ स्टेशनरी/ विज्ञापन	
2	विद्युत्/ पानी	
3	किराया	
4	अन्य आकस्मिक व्यय	
	योग	

6. कार्यशील पूँजी का योग (i+ii+iii) : ....

7. उत्पादन लागत प्रतिमाह

(i) कार्यशील पूँजी : ....

(ii) मशीन आदि पर घिसावट (+) : ....

(स्थिर पूँजी का 10 प्रतिशत)

(iii) कुल पूँजी पर ब्याज (+) : ....

योग : ....

8. लाभ/ हानि प्रतिमाह

(i) सेवा/ उत्पादन विक्रय से आय (+) : ....

(ii) उत्पादन लागत (-) : ....

शुद्ध-लाभ : ....

9. वित्तीय आवश्यकतायें

(i) स्थिर पूँजी हेतु : ....

(ii) कार्यशील पूँजी हेतु : ....

योग : ....

10. आवश्यक वित्तीय प्रबंध

(i) स्वयं का अंशदान (मार्जिनमनी) : ....

(ii) बैंक से ऋण : ....

योग : ....

11. ऋण पुनर्भुगतान अवधि : ....

आवेदक का नाम
एवं हस्ताक्षर

प्रपत्र-2

सामान्य परियोजना प्रतिवेदन

(Simple Project Report)

रु. 10 लाख से कम की खुदरा व्यवसाय (Retail Trade), परियोजना हेतु

1. आवेदक का नाम व पता : ....
2. व्यवसाय का नाम व पता : ....
3. प्रस्तावित व्यवसाय की सम्भावना : ....

....

....

4. पूँजी विनियोजन (Capital Appropiation) :-

अ. स्थिर पूँजी

(i) भूमि : ....

(ii) भवन (स्वयं की/ किराये पर) : ....

(iii) दुकान एवं साज-सज्जा

क्र	विवरण	परिमाण	मूल्य
1			
2			
3			
4			
		योग	

ब. कार्यशील पूँजी

(i) व्यवसाय हेतु सामग्री

क्र	सामग्री का नाम	परिमाण	मूल्य
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
		योग	

(ii) अन्य व्यय

क्र	विवरण	अनुमानित व्यय
1	ऑफिस/ स्टेशनरी/ विज्ञापन/ पोस्टेज	
2	विद्युत्/ पानी	
3	किराया	
4	मजदूरी	
5	अन्य आकस्मिक व्यय	
6	पूँजी पर ब्याज आदि	
	योग	

5. कार्यशील पूँजी का योग (i+ii+iii) : ....

6. लाभ/ हानि प्रतिमाह

(i) सेवा/ उत्पादन विक्रय से आय (+) : ....

(ii) उत्पादन लागत (-) : ....

शुद्ध-लाभ : ....

7. वित्तीय आवश्यकतायें

(i) स्थिर पूँजी हेतु : ....

(ii) कार्यशील पूँजी हेतु : ....

योग : ....

8. आवश्यक वित्तीय प्रबंध

(i) स्वयं का अंशदान (मार्जिनमनी) : ....

(ii) बैंक से ऋण : ....

योग : ....

9. ऋण पुनर्भुगतान अवधि : ....

आवेदक का नाम

एवं हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मंत्रालय

// आदेश //

दिनांक 02/08/2022

क्रमांक एफ 02-02/2021/अ-73: राज्य शासन एतद द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक एफ 02-02/2021/अ-73 दिनांक 29.11.2021 से जारी "मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना" की कंडिका क्रमांक 1(ii) पात्रता के भाग (क) तथा (ख) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

(क) आयु	18-45 वर्ष।
(ख) शैक्षणिक योग्यता	8वीं कक्षा उत्तीर्ण।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(शशि भूषण सिंह)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृ. क्रमांक एफ 02-02/2021/अ-73 भोपाल दिनांक 02/08/2022

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. आयुक्त जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।

6. आयुक्त संस्थागत वित्त, मध्यप्रदेश विंध्याचल भवन, भोपाल।
7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
10. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर कृपया उक्त परिपत्र को आगामी राजपत्र में प्रकाशित करवाकर उसकी 25 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
11. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम विभाग।
12. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑचलिक कार्यालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. मुख्य परिचालन अधिकारी, एमपी ऑनलाईन लिमिटेड, डी.बी.सीटी मॉल, एम.पी.नगर भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. समस्त संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रिय कार्यालय, मध्यप्रदेश।
15. समस्त महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम विभाग